(81)

(81)-7.0-अनि0 [illegible] 14-स-37, दिनांक [illegible] फरवरी, 1968 द्वारा [illegible] 61, [illegible] 1927 (अधिनियम संख्या 16, [illegible]) के अधीन, आरक्षित [illegible] किया गया था;

जिस में अधिकारों के दावों को प्रस्तुत करने के लिये उक्त अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गयी है ;

[illegible] नहीं किये गये हैं, [illegible] अनुसूची 'ख' में दी गयी सीमा तक रिजर्व घोषित की गयी है ;

[illegible] की धारा 20 के अधीन [illegible] का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल दिनांक 30 [illegible] अनुसूची [illegible] उल्लिखित उक्त भूमि को आरक्षित वन घोषित करते हैं ।

अनुसूची "ख"

जिला	परगना	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विशेष विवरण
1	1		5	6	7
				बी0 बि0 बि0	
	[illegible]	जंगल मोहाल उत्तरी	42/1	304 12 0	विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है ।
			50	76 15 0	
			86	169 19 0	
			173/1	668 10 0	
			240	23 18 0	
			43/1	351 18 0	
			505	20 0 0	
			562	153 9 0	
			1749	399 14 0	
			योग ..	2171 15 0	
				या	
				1357.35 एकड़ अथवा 549.302 हेक्टेयर	

वन सीमा बढ़ तालिका [illegible] जंगल मोहाल उत्तरी

[illegible]	अगले स्तम्भ की अनुमानित दिशा	अगले स्तम्भ का अनुमानित सुलकीय कोण		अगले स्तम्भ तक नापी गई दूरी जरीबों में	अगले स्तम्भ तक की सीमा की दिशा	विशेष विवरण
		अग्रिम	पार्श्व			
2	3	4	5	6	7	8
		फारेस्ट ब्लाक नं0-1				
[illegible] एवं ग्राम जंगल मोहाल की सीमा पर	पू0 द0 पू0	93.30	273.30	3.88	सीधी लाइन	ग्राम जंगल-मोहाल एवम् पीहा के बीहड़े से फा0 बि0 185.30 बैंक बियरिंग 5.30 दूरी 27.30 जरीब पर पिलर नं0 1
[illegible] 42 मि0 के अन्दर	उ0 पू0 उ0	36.15	216.15	4.93	"	
[illegible] 2 के [illegible] पश्चिम पर	पू0 द0 पू0	131.00	311.00	9.85	"	
[illegible] 28 के [illegible] पश्चिम पर	पू0 उ0 पू0	83.00	263.00	8.37	"	
[illegible] 29 के दक्षिण पूर्वी पर	पू0 द0 पू0	106.30	286.30	9.98	गोलाई लिये प्रारम्भ ।	
[illegible] 31 के दक्षिणी किनारे पर	पू0 उ0 पू0	89.00	269.00	8.70	सीधा लाइन	
[illegible] 42 के पश्चिमी किनारे	उ0 प0 उ0	336.00	156.00	10.14	टेढ़ी लाइन	नाला नाउन्ही

छाया प्रति सत्यापित

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर–वन प्रभाग
मीरजापुर

छाया प्रति प्रमाणित

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर–वन प्रभाग
मीरजापुर